



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245628
CG-DL-E-03052023-245628

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1924]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

No. 1924]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

का.आ. 2012(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2130, दिनांक 06.05.2023 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड 2 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 146.300 कि.मी. से 156.560 कि.मी. तक के भूखण्ड (सोलन-शिमला खण्ड) का निर्माण (चौड़ा करने/4 लेन का बनाने आदि) ,अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा 3 के अधीन तारीख 21 मई 2022 को द टिब्यून अंग्रेजी और अमर उजाला हिन्दी दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है।

और सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 1 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए:

और अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 2 के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगनों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेशराज्य के शिमला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 146.300 कि.मी. से 156.560 कि.मी. तक (सोलन-शिमला खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: शिमला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शिमला (रूरल)				
	गांव का नाम: जंगल महदूदा महफूज़ा- मशोबरा				
1	158/1	निजी	बगीचा बाखल अवल फलदार	0.3954	नरेन्दर सिंह, हितेन्दर सिंह, देविन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह पुत्र देवी दास भाग बराबर स्थानीय वासी (158/1)
2	160/1	निजी	घासनी	0.1646	नरेन्दर सिंह, हितेन्दर सिंह, देविन्द्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह पुत्र देवी दास भाग बराबर स्थानीय वासी (160/1)
3	163/1	निजी([object Object])	घासनी	0.0028	कुल (1140) भाग नरेन्दर सिंह (379) भाग, हितेन्दर सिंह (380) भाग, देविन्द्र सिंह (381) भाग, पुत्रगण दुर्गा सिंह पुत्र देवी दास स्थानीय वासी । (163/1/1)
4	163/1	निजी([object Object])	घासनी	0.1134	कुल (1140) भाग नरेन्दर सिंह (379) भाग, हितेन्दर सिंह (380) भाग, देविन्द्र सिंह (381) भाग, पुत्रगण दुर्गा सिंह पुत्र देवी दास स्थानीय वासी । (163/2/1)
5	163/1	निजी([object Object])	घासनी	0.8294	सरकार हिमाचल प्रदेश कब्ज़ा वन विभाग (163/3/1)
			कुल	1.5056	

[फा. सं. 11008/2/2012/LA/PIU-SML/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2012(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, declares its intention to acquire the land specified in the shedule annexed to the notification bearing No. S.O 2130 (E) dated 06.05.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH22 on the

stretch of land from Km 146.300 to Km 156.560 (O/o DC Shimla) in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune (English)” and “Amar Ujala (Hindi)” both dated 21.05.2022 respectively under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas, The Competent Authority has received objections filed under Section 3C and the same have been consider and decided by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH22 in the stretch of land Km 146.300 to Km 156.560 (Solan-Shimla Section) of the National Highway No 22 in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: SHIMLA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Shimla (Rural)				
	Village: jangle Mahdooda Mahefuza-Mashobra				
1	158/1	Private	Bagicha Baakhal Awal Faldar	0.3954	Narender Singh, Hitender Singh, Devender Singh S/o Durga Singh S/o Devi Dass equal shares local resident 158/1
2	160/1	Private	Ghasni	0.1646	Narender Singh, Hitender Singh, Devinder Singh s/o Durga Singh S/o Devi Dass Equal Shares. Local resident of the estate. 160/1
3	163/1	Private	Ghasni	0.0028	Total (1140) shares. Narender Singh (379) shares, Hitender Singh (380) shares , Devinder Singh (381) shares s/o Durga Singh S/O Devi Dass Equal Shares. Local resident of the estate. 163/1/1
4	163/1	Private	Ghasni	0.1134	Total (1140) shares. Narender Singh (379) shares, Hitender Singh (380) shares , Devinder Singh (381) shares s/o Durga Singh S/O Devi Dass Equal Shares. Local resident of the estate. 163/2/1

5	163/1	Private	Ghasni	0.8294	Government of Himachal Pradesh kabja Van Vibhag 163/3/1
			TOTAL	1.5056	

[F. No. 11008/2/2012/LA/PIU-SML/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.